मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 432] भोपाल, बुधवार, दिनांक 5 सितम्बर 2007—भाद्र 14, शक 1929

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2007

आदेश

क्र. एफ. 35-115-2006-सी-एक.—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 14 की उपधारा (1) के अनुसरण में राज्य शासन, एतद्द्वारा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार करता है:—

1.	मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश	अध्यक्ष
2.	मंत्री, वित्त विभाग	सदस्य
3.	मंत्री, राजस्व विभाग	सदस्य
4.	मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
5.	मंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	सदस्य
6.	मंत्री, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग	सदस्य
7.	मंत्री, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
8.	मंत्री, गृह/राज्य मंत्री गृह	सदस्य
9.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश	सदस्य

प्रमुख सचिव, गृह विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव/संयोजक होंगे.

क्र. एफ. 35-115-2006-सी-एक.--आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 20 की उपधारा (1) के अनुसरण में द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण के कार्यों में सहायता करने के लिये राज्य कार्यपालन समिति का गठन निम्नानुसार करता है:—

1.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, गृह विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिल, राजस्व विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य :

1.	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
2.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	सदस्य
4.	पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश	सदस्य
5.	महानिदेशक, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, म. प्र.	सदस्य

उक्त समिति के सचिव/संयोजक, सचिव गृह विभाग होंगे.

क्र. एफ. 35-115-2006-सी-एक.—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 25 की उपधारा (1) के अनुसरण में राज्य शासन, एतद्द्वारा, द्वारा प्रत्येक जिले के लिये जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार करता है:—

1.	कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	सह अध्यक्ष
3.	जिले में नगरपालिका निगम होने की स्थिति में नगरपालिका निगम का मेयर.	सह अध्यक्ष
4.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
6.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
7.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
8.	राज्य शासन द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर अथवा अपर जिला दण्डाधिकारी.	सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय राणा, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.